प्रेस नोट, जनपद फतेहपुर
दिनांक 23.01.2026

दिनांक 21.01.2026 को थाना कोतवाली अंतर्गत श्री जयराज मानसिंह, उम्र करीब 68 वर्ष की हत्या की घटना के अनावरण के सबंध मेः -

<u>घटना का संक्षिप्त विवरणः-</u> दिनाँक- 21.01.2026 को थाना कोतवाली पर यूपी- 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रातर्गत महर्षि विद्या मन्दिर विद्यालय के समीप सरसों के बाग खेत में श्री जयराज मान सिंह पुत्र आनद चन्द्र मान सिंह निवासी सिविल लाइन निकट बुलट चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर का शव पड़ा है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पुलिस, फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा व पोस्टमॉर्टम की कार्यवाही हेतु मॉर्चरी भेजा गया एवं फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर, साक्ष्य संकलित किए गये। घटनास्थल का निरीक्षण श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज, जोन प्रयागराज, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, परिक्षेत्र प्रयागराज एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहपुर द्वारा किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु एसओजी, सर्विलांस सेल, इंटेलीजेंस विंग तथा थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम को लगाया। मृतक की पत्नी शहनाज मान सिंह द्वारा दी गई तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 26/2026 धारा 103 (1) बीएनएस पजीकृत किया गया है तथा विवेचना के क्रम में संकलित किये गये इलेक्ट्रॉनिक, फॉरेंसिक व अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जब संदिग्ध अंकित मिश्रा से पूँछताछ की गयी तो उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया। अंकित मिश्रा की निशानदेही पर उसके घर से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरण की गभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा सभी पहलुओं पर गहन विवेचना की जा रही है, विवेचना के क्रम में जो भी तथ्य एवं साक्ष्य प्रकाश में आयेंगे नियमानुसार उसको विवेचना में सम्मिलित करते हुए उच्चाधिकारियों के सतत पर्यवेक्षण में विवेचना संपादित की जायेगी।

<u>पूंछतांछ का विवरण-</u> पूंछतांछ के क्रम में अभियुक्त अंकित मिश्रा द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुये बताया कि श्री जयराज मान सिंह को मारने की योजना मैंने करीब एक महीने पहले बनायी थी और उसी समय बाजार से चाकू खरीदकर अपने घर पर छिपा कर रखा तथा सही समय का इंतजार कर रहा था, अंकित ने यह भी बताया कि श्री जयराज मान सिंह और में प्रतिदिन सायं को महर्षि विद्यालय के सामने स्थित उनके बाग खेत में टहलने जाते थे। घटना वाले दिन शाम को टहलने के साथ ही जमीन की नाप की कार्यवाही करने की भी योजना थी। 21.01.2026 को शाम करीब 04 बजे में अपने ताम्बेश्वर चौराहे स्थित घर से मोटरसाईकिल से श्री जयराज मानसिंह के बुलट चौराहे स्थित घर के लिए निकला। निकलते समय में अपने घर से ही अपनी कमर में चाकू छिपाकर रख लिया था। मैं मोटर साइकिल से मृतक के घर पहुंचा तथा वही मोटर साइकिल खड़ी कर मृतक को उनकी वैगन-आर कार में बैठाकर रोजाना की भांति गाड़ी चला कर बाग/खेत पहुंचा। गाड़ी खड़ी करके हम दोनों पैदल-पैदल टहलने लगे टहलते हुये मैं उनको सरसो के बाग खेत की ओर ले गया उपयुक्त जगह पर पहुंच कर मैं अपनी चाल धीमे कर श्री जयराज मानसिंह के पीछे हो गया और फुर्ती से पीछे से गर्दन पकड़कर गर्दन पर चाकू से वार किया। उनके गिर जाने के बाद फिर चाकू से गला रेता, जब मुझे यह भरोसा हो गया कि वह मर गये है, उसके बाद मैं तेजी से कार की ओर बढ़ा और रास्ते में ही मिट्टी में हाथ व चाकू रगड़ कर खून साफ किया और पूर्व योजना के अनुसार वैगन-आर कार से अपने घर पहुंचा चाकू छिपाया तथा हाथ व पैर पर लगा खून बाथरूम में पानी से तथा चाकू किचन में छुपा दिया। और फिर वैगन-आर कार लेकर मृतक श्री जयराज मान सिंह के घर की ओर चला, घर से निकलते ही मृतक की पत्नी को फोन कर बताया कि **"भैया (मृतक) द्वारा यह कहा गया है कि हम दो लोगों को जमीन की नाप करने में दिक्कत हो रही है अतः सहयोग के लिए मेरे घर से नौकर गंगादीन को भी ले आओ।"** घर आकर में गगादीन को वैगन-आर से लेकर पुनः उसी स्थान पर पहुंचा जहां वैगन-आर पहले खड़ी की थी और पूर्व योजना के अनुसार मृतक को कई बार स्वयं फोन किया तथा

गंगादीन से भी जानबूझ कर फोन कराया। जानबूझ कर मैं गंगादीन को साथ लेकर भैया को बाग खेत के उस हिस्से मे खोजबीन करने का दिखावा करने लगा जहा से डेड बॉडी विपरीत दिशा में तथा दूर थी। इस दौरान मैने भाभी (मृतक की पत्नी) को भी फोन किया और बताया कि भैयाफोन नहीं उठा रहे है क्या उनका फोन साइलेंट पर है। इसके बाद गंगादीन को वैगन आर में बैठाकर महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय के सामने रोड पर ले जाकर दूढ़ने का दिखावा करने लगा तथा उस तरफ भी ना मिलने पर पुनः गाडी से ही बाग खेत पर वापस आया और वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि तब तक भाभी (मृतक की पत्नी की गाडी खड़ी है. में पुनः गंगादीन को साथ लेकर बाग खेत की तरफ बढ़ा इतने में ही भाभी का फोन आया कि अंकित कहा हो जल्दी आओ भैया का मर्डर हो गया है. डेड बॉडी बाग खेत में पड़ी है मैं वहा पहुंचा जहां मैंने जनको मारा था यहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि भाभी भी बेसुध बैठी थी तथा उनके आस-पास कुछ और लोग भी हैं जो रो चिल्ला रहे थे मैं भी रोने चिल्लाने का नाटक करने लगा तथा उसके बाद मेरे द्वारा अपने फोन से घटना की सूचना यूपी-112 पर कॉल कर करके दी, जिसके बाद यूपी- 112 व थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तथा भाभी ने पुलिस के सामने ही कहा कि **"अंकित तुम भैया को साथ लेकर आये थे तुमने ही भैया को मारा है।"**

गंगादीन को साथ ले जाने के पीछे मेरी मंशा ये थी कि गंगादीन साक्षी बने कि जब मैं गंगादीन को घर पर लेने आया हूं उसी बीच किसी अन्य व्यक्ति ने हत्या की है ताकि आरोप मुझ पर न आये इसी वजह से मेरे द्वारा अपने फोन से यूपी-112 पर भी घटना की सूचना दी गयी थी।

सम्पूर्ण पूछताछ में आये तथ्यों का पुलिस द्वारा फॉरेंसिक इलेक्ट्रॉनिक तथा उपलब्ध सीसीटीवी के माध्यम से प्राप्त साक्ष्यों से मिलान भी कर लिया गया है।

<u>**घटना कारित करने का उद्देश्य-**</u> अंकित कुमार मिश्रा करीब 08-09 वर्ष पूर्व मृतक श्री जयराज मान सिंह के संपर्क में आया। समय के साथ धारे-धीरे मृतक का विश्वास पात्र बन गया और उनके काम काज में सहयोग करने लगा। मृतक के पास महर्षि स्कूल के सामने काफी प्रॉपर्टी थी जिसमे खेत व बाग शामिल है, जिसे मृतक बेचना चाहते थे जिसका जिक्र मृतक ने अंकित से भी किया था. अंकित भी पिछले काफी समय से खरीददारों की तलाश में सहयोगी की भूमिका में था, किन्तु भूमि के मूल्य को लेकर काफी समय से जमीन की बिक्री का सौदा तय नहीं हो पा रहा था। अंकित ने पूछताछ के दौरान यह भी बताया कि मृतक से जुड़ने तथा यह सौदा कराने के लिए उसका अपना यह हित था कि सौदा होनें पर उसे भी आर्थिक लाभ होगा। अंकित का मानना था कि मृतक अपने जीवित रहते जिस कीमत पर जमीन का सौदा करना चाहते थे उसमें काफी समय लगेगा। पैसों की जरूरत पड़ने पर अंकित ने समय-समय पर पिछले 08-09 वर्ष में कई मौको पर थोड़ा-थोड़ा करके मृतक से लगभग 12 से 15 लाख रुपये लिए थे।

अंकित ने अपनी बढ़ती महत्वकांक्षा, लालच एवं जल्द अमीर बनने की इच्छा से यह तय किया कि वह मृतक को रास्ते से हटा देगा तो मृतक के शेष परिजनों का विश्वास पात्र बन कर तथा उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर जल्द ही अच्छा कमीशन लेकर जमीन को बिकवा देगा और बड़ा आर्थिक लाभ अर्जित करेगा।

<u>**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-**</u>

1. अंकित मिश्रा पुत्र सुभाष मिश्रा निवासी ताम्बेवर नगर थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर स्थायी पता ग्राम सातों जोगा थाना असोथर जनपद फतेहपुर

<u>**बरामदगी का विवरणः**</u>

1. अभियुक्त के रक्त रंजित कपड़े
2. घटना में प्रयुक्त चाकू
3. वैगन-आर कार
4. अभियुक्त की मोटर साईकिल
5. अभियुक्त का मोबाईल फोन

मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर